Deed of Trust St. 100/- 47

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND B 491692

पक्षकारों का पहचान पत्र की मूल प्रति का मिलान किया। 04.02.16

64

04.02.16 04.02.16

धनबाद जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट विलेख

यह विलेख आज 04 दिनांक 02 वर्ष 2016 को निष्पादित किया गया।

द्वारा

झारखंड सरकार, खान एवं भूतत्व विभाग के संयुक्त सचिव/~~उप सचिव~~, खान एवं भूतत्व विभाग के मुख्यालय, राँची द्वारा राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष, "जिन्हें व्यवस्थापक" कहा जायेगा।

.....................प्रथम पक्ष

नीचे अंकित पदधारी/न्यासकर्त्ता या उसके उत्तरदायी, जब तक कि इस विषय के संबंध में अन्यथा अभिव्यक्त न किया गया है, के पक्ष में विलेख निष्पादित किया जाता है।

..................द्वितीय पक्ष

30.00
1000.00
20.00
1050.00
04.02.2016

(क) न्यास परिषदः–

	नाम–	शासी परिषद में पदनाम निर्दिष्ट
i.	उपायुक्त –	अध्यक्ष
ii.	उप विकास आयुक्त –	सदस्य सचिव
iii.	आरक्षी अधीक्षक –	सदस्य
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी –	सदस्य
v.	जिला शिक्षा पदाधिकारी –	सदस्य
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी –	सदस्य
vii.	संबंधित उप निदेशक, खान –	सदस्य
viii.	संबंधित उप निदेशक, भूतत्व –	सदस्य
ix.	संबंधित जिला खनन पदाधिकारी –	सदस्य
x.	अध्यक्ष जिला परिषद के प्रतिनिधि –	सदस्य
xi.	झारखंड स्मॉल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि –	सदस्य
xii.	माननीय सांसद के प्रतिनिधि –	सदस्य
xiii.	जिला अन्तर्गत सभी माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि –	सदस्य
xiv.	दो प्रमुख खनन पट्टाधारी, जिसे शासी परिषद द्वारा नामित किया जाएगा –	सदस्य
xv.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित प्रमुख एवं उप प्रमुख –	सदस्य
xvi.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के निर्वाचित मुखिया एवं उप मुखिया–	सदस्य

चूँकि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015 की धारा–9B अन्तर्गत, जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में किया जाना है, ताकि खनन से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों–परिवार के हितों व लाभों की रक्षा करने का कार्य राज्य द्वारा यथा निर्देशित ढंग से किया जा सकें। एवम्

चूँकि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवस्थापक ने यह विनिश्चय किया है कि एक गैर लाभकारी न्यास का गठन राज्य सरकार अन्तर्गत किया जाए ताकि गठित न्यास अन्तर्गत प्राप्त कोष से खनन क्षेत्र में रहने वाले खनन प्रभावित लोगों का समुचित विकास राज्य सरकार द्वारा विहित निर्देशित ढंग से व्यवस्थापक द्वारा किया जा सके। जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट बनाए जाने के उद्देश्य से न्यासी के नियंत्रणधीन 1000/– (एक हजार) रूपये से प्रारम्भिक पुरिनिर्धारण किया जाता है।

अब यह न्यास विलेख इस प्रकार है :–

1. **परिभाषा एवं निर्वचन**

इस न्यास विलेख में यदि संदर्भ की आवश्यकता भिन्न नहीं हो तो निम्नांकित शब्दों का अर्थ निम्न रूप से माने जाएंगे :–

i अधिनियम का अर्थ है :– खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957

ii न्यासी द्वारा नियुक्त अंकेक्षक/चार्टड अकाउण्टेंट में व्ययस्थापक द्वारा प्राधिकृत या महालेखाकर झारखंड द्वारा नियुक्त अंकेक्षक भी समझे जाएगें।

iii 'लाभुक' का अर्थ है खनन से प्रभावित क्षेत्र एवं व्यक्ति।

iv अंशदान का अर्थ है :– (क) जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के बाद खनिज के पट्टे या पूर्वेक्षण–सह – खनन पट्टा प्राप्त हुआ है, उनसे अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के

लिए किसी भी प्ररिस्थिति में विगत देनदारियाँ एवं प्रतिवद्धता, आगामी वर्ष में प्राप्त होने वाली रोकड़ से तीन गुणा से अधिक न हो।

(3) यदि व्यवस्थापक द्वारा इस न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध न्यास के कोष से कोई व्यय का निर्धारण किया गया है, तो उसका अनुमोदन।

(4) प्रबंधकीय समिति के अनुशंसा को अनुमोदित करना।

(5) न्यास के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा का पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर अनुमोदित करना।

8. **शासी परिषद की बैठक :–**

(1) शासी परिषद, जहाँ आवश्यक हो बैठक आयोजित कर सकेगी, परन्तु प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार अवश्य बैठक करेगी।

(2) शासी परिषद की बैठक के अध्यक्ष के इच्छानुसार बुलायी जा सकेगी।

(3) कुल सदस्यों के 1/3 (एक तिहाई) भाग उपस्थित रहने पर कोरम पूर्ण माना जाएगा।

9. **प्रबंधकीय समति :– न्यास के मामले/कार्य, प्रबंधकीय समिति द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे एवं इस समिति में निम्नांकित सदस्य होगें :–**

प्रबंधकीय समितिः–

i.	उपायुक्त	अध्यक्ष
ii.	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
iii.	उप विकास आयुक्त– सदस्य सचिव	
iv.	संबंधित जिलान्तर्गत प्रादेशिक वन प्रमण्डल के वरीयतम वन प्रमण्डल पदाधिकारी	सदस्य
v.	जिला/सहायक खनन पदाधिकारी	
vi.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
vii.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य

10. **प्रबंधकीय समिति की बैठक :–** एक वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय समिति की बैठक कम से कम 06 बार अध्यक्ष के निर्णयानुसार की जाएगी।

11. **प्रबंधकीय समिति के अधिकार एवं कृत्य :– प्रबंधकीय समिति**

(1) न्यास के हित को सुरक्षित रखते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूरी सतर्कता के साथ करेगी।

(2) संबंधित पट्टेधारियों से अधिनियम के प्रावधानुसार समेकित अंशदान का ससमय जमा कराएगी।

(3) न्यास के कार्यो के मास्टर प्लान/विजन अभिलेख, परियोजना प्रस्ताव एवं स्कीम तैयार करेगी।

(4) वार्षिक योजना एवं बजट के निर्माण में न्यास को सहयोग करेगी।

(5) वार्षिक योजना एवं अनुमोदित परियोजना का पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन करेगी।

(6) परियोजाना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष की विमुक्ति एवं संवितरण करेगी।

(7) न्यास कोष का संचालन न्यास के नाम बैंक खाता खोलकर, लेखा एवं विलेख का संचालन करेगी।

अनुरूप स्वामिस्व के अतिरिक्त स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक राशि प्राप्त की जाएगी।

(ख) वेसै पट्टाधारक, जिन्हें खान एवं खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के पूर्व खनन पट्टा प्राप्त है, उनसे स्वामिस्व के अतिरिक्त पट्टे के वर्गीकरण के अनुसार यथा केन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामिस्व/दर से अनधिक राशि इस कोष में प्राप्त की जाएगी।

v अंशदान कोष का अर्थ है, जिला में अवस्थित खनन पट्टाधारक या पूर्वेक्षण–सह–खनन पट्टाधारक से अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुरूप अंशदान प्रतिशत में स्वामिस्व के 1/3 (एक तिहाई) राशि से अनाधिक प्राप्त राशि का कोष।

vi "जिला दण्डाधिकारी" का अर्थ है, राजस्व प्रशासन का जिला में प्रमुख अधिकारी जिसे समाहर्त्ता या उपायुक्त के नाम से नाम निर्दिष्ट हों।

vii "जिला पंचायत" का अर्थ है, जिला परिषद या कोई अन्य प्राधिकार, जिसे संविधान की अनुसूची V एवं VI में समान दायित्व उन क्षेत्रों में दिया गया है।

viii "शासी परिषद" का अर्थ है, सभी न्यासी की परिषद, जो जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में है और जिसे न्यास परिषद के रूप में जाना जायेगा।

ix "अध्यादेश" का अर्थ है, खान एवं खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 2015"

x "न्यास का अर्थ" है, धनबाद जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट, जो व्यवस्थापक द्वारा बनाया गया है।

xi "वर्ष" का अर्थ है, पहली अप्रैल से प्रारम्भ एवं 31 मार्च को अगले वर्ष समाप्त होने वाला वर्ष या अंश, जो 31 मार्च को समाप्त होगा।

(2) एकवचन में प्रयुक्त शब्द में बहुवचन एवं बहुवचन में प्रयुक्त शब्द में एकवचन क्रमशः सम्मिलित समझे जाएगें।

(3) जिन शब्दों का अर्थ पुलिंग है, उसमें स्त्रीलिंग एवं उभयलिंग भी सम्मिलित समझे जाएगें।

2. **न्यास का नाम :–** इन न्यास को **"जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** के नाम से जाना जाएगा एवं इसका कार्यालय जिले के उपायुक्त के कार्यालय में अवस्थित होगा।

3. **उद्देश्य :– "धनबाद खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट"** का उद्देश्य खनन क्षेत्र में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों तथा क्षत्र के हित–लाभ के लिए योजना का सूत्रण, स्वीकृति व कार्यान्वयन, जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली के अनुसार होगा।

4. **नियुक्ति एवं घोषणा :– न्यास परिषद का न्यासी**

(1) व्यवस्थापक सभी न्यासी को न्यास परिषद का न्यासी नियुक्त करते है, जिसका गठन हो रहा है एवं सभी न्यासी यह नियुक्ति निम्न शर्तो एवं प्रावधानों के साथ स्वीकार करते हैं।

(2) न्यासी जिन्हें पदनाम से शासी परिषद का न्यासी नियुक्त किया गया है, अपने पद पर बने रहते हुए न्यासी का पद धारित रखेंगे एवं उनके पदमुक्त होने तथा प्रतिस्थानी के आने पर उनके प्रतिस्थानी न्यास परिषद में उनके स्थान पर पदभार लेने के साथ ही स्वतः न्यासी हो जाऐगें।

07-882 13/01/16

[illegible]

100/-

उप विकास आयुक्त
हरिद्वार

04.02.16 10 [illegible]

अशोक कुमार सिंह पुत्र स्व० हरि नारायण सिंह

[illegible]

राजपूत नौकरी हरिद्वार

04.02.16

(8) न्यास कोष के प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

(9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा का शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(10) न्यास के सफल संचालन हेतु नियम को तैयार/अनुमोदित करेगी।

12. न्यास कोष :–

धनबाद खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में निम्नांकित सम्मिलित होंगे:–

(1) व्यवस्थापक द्वारा प्रारम्भिक परिनिर्धारण।

(2) व्यवस्थापक या अन्य एजेन्सी, संस्थान या व्यक्ति से प्राप्त अनुदान, अंशदान या अन्य रकम अदायगी।

(3) अधिनियम की दूसरी सूची में यथा उल्लेखित स्वामिस्व की दर पर खनन पट्टाधारी, सह–खनन पट्टेधारी से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वामिस्व दर के प्रतिशत की समतुल्य प्राप्त राशि।

(4) पूँजीनिवेश अन्य जमा पर उदभूत ब्याज, जो लागू हो।

(5) न्यास की अन्य सभी सम्पति एवं आय, जो पूँजी बृद्धि से प्राप्त हुई हो।

13. न्यास कोष का संचालन :– न्यास के नाम से, एक या अधिक अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों, में खाता खोलकर रखा जा सकेगा, जिसका संचालन सदस्य सचिव एवं प्रबंधकीय समिति के अन्य सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रबंधकीय समिति के प्राधिकृत करने के उपरांत किया जा सकेगा। न्यास इस कोष की लेखा विवरणी का रख रखाव करेगा।

14. न्यास कौष से खर्च :–

न्यास के पास उपलब्ध कोष से निम्नांकित व्यय किया जा सकेगा :–

(1) खनन संबंधित कार्यो के कारण जिले के प्रभावित क्षेत्रों में न्यासी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना के अनुसार सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु समेकित विकास का कार्य।

(2) स्थानीय सामाजिक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण।

(3) खनन प्रभावित क्षेत्र में समुदायिक आस्तियॉ एवं सेवाओं को स्थानीय आबादी को मुहैया कराना व उनका अनुरक्षण एवं उन्नयन करना।

(4) स्वरोजगार व रोजगार सृजन के उद्देश्य से कौशल एवं क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण संचालित करना, परन्तु कुल प्राप्त वार्षिक कोष के 6 प्रतिशत से अधिक राशि का व्यय न्यास द्वारा प्रशासनिक या स्थापना खर्च में नहीं किया जायेगा,

परन्तु, न्यास कोष से किसी प्रकार का अग्रिम या नकद अनुदान किसी भी लाभुक को नहीं दिया जायेगा।

15. खर्च का अवभार :–

निम्नांकित खर्च न्यास के कोष से किए जा सकेगें।

(1) न्यास के कार्य या संचालन में कुल खर्च, जिससे वसूली एवं निवेश के हित लाभ साधे गये हो।

(2) न्यासी द्वारा कोई संसाधन या अंशदान प्राप्त करने में हुए खर्च (एकरारनामा या विलेखों के निष्पादन निबंधन में हुए प्रारम्भिक व्यय)

(3) विधिक कार्यवाही में उत्पन्न खर्च, जो न्यासी द्वारा या विरूद्ध हुए हो, से संबंधित व्यवसायिक शुल्क एवं विधिक परामर्शी का खर्च।

(4) सभी वैधानिक एवं कानूनी व्यय जो न्यास के संचालन में हुए हो, यथा शुल्क, उद्ग्रहण, अन्य खर्च सहित।

(5) बैठक एवं कार्यवाही संचालित करने में हुए व्यय।

16. **लेखा एवं अंकेक्षण :–**

1.(i) (क) प्रबंधकीय समिति द्वारा लेखा विवरणी, दस्तातेजों व अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जिससे न्यास कोष की सही एवं स्वच्छ स्थिति प्रदर्शित हो।

(ख) एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत योग्य अंकेक्षक द्वारा न्यास के लेखा का अंकेक्षण किया जायेगा।

(ii) न्यासी द्वारा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत अंकेक्षण की सूची में से शासी परिषद की बैठक में जैसी शत्र्तें एवं प्रावधान, न्यासी तय करेंगें के अनुसार अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) अंकेक्षक को न्यासी द्वारा हटाया एवं परिवर्तित किया जा सकेगा।

2. उपरोक्त कंडिका–1 में होते हुए भी व्यवस्थापक किसी अंकेक्षक को नियुक्त कर सकेगा या महालेखाकार द्वारा अंकेक्षक नियुक्त कराकर किसी वर्ष या अवधि का अंकेक्षण जिस शत्र्त पर कराना चाहे, उसे कराने का निर्णय ले सकेगा।

3. न्यास अपने अगामी वर्ष का आय–व्ययक, योजना, परियोजना एवं स्कीम की अनुमोदित प्रतियाँ जिला पंचायत/जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग, योजना विभाग) के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजेगा।

4. प्रत्येक तिमाही के समाप्ति के 45 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा अनुमोदित परियोजना आदि की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां जिला पंचायत, जिला प्रशासन को अविलम्ब बेवसाईल पर प्रकाशन हेतु भेज दी जाएगी।

5. वित्तीय वर्ष समाप्ति के 60 दिनों के अन्दर न्यास द्वारा न्यास परिषद से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के बेवसाईट में प्रकाशनार्थ भेज दिया जाएगा।

17. **प्रशासनिक व्यवस्थाएँ :–**

(1) राज्य सरकार अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत कर्मियों (जिला पंचायत में कार्यरत कर्मी सहित) की सेवा न्यास के प्रबंधन एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगी।

(2) न्यास परिषद व्यवस्थापक/राज्य सरकार से यथेष्ट संख्या में मुख्य कर्मी अपने किसी विभाग या जिला परिषद या अन्य संवर्ग से प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए देने का अनुरोध कर सकेगी। इन प्रतिनियुक्ति कर्मियों की सेवा अपने मूल संवर्ग में ही रहेगी। न्यास इस कार्य के निमित अधिकतम 3 प्रतिशत का खर्च वहन कर सकेगी (यह 3 प्रतिशत कंडिका 14(4) में किए गए 6 प्रतिशत के अधीन होगा)।

(3) न्यास किसी सेवा प्रदाता से न्यास को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के निमित ऐसी सेवा ले सकेगी एवं आकस्मिक खर्च से इस कार्य का वहन कर सकेगी।

18. **न्यासी का दायित्व :–**

(1) न्यासी ऐसे किसी कार्य के प्रति उतरदायी नही होगा, जो पूरे सदभाव, अधिकार एवं सतर्कता से किया गया हो। किसी बैंक, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिनके पास नेक नियत से न्यास का कोष रखा गया हो, के गलती या निवेश के अपर्याप्त होने पर या अनैच्छिक हानि के लिए वह जिम्मेवार नहीं होगा।

(2) सभी न्यासी एवं एटर्नी, एजेन्ट, जिसे न्यास द्वारा नियुक्त किया गया हो, को न्यास कोष से सभी दायित्व, हानि, कार्य को करने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, वशर्ते ऐसे कार्यो को छोड़कर जो लापरवाही अथवा कदाचार से किए गए हो परन्तुक ऐसी क्षतिपूर्ति किसी भी परिस्थिति में कुल प्राप्त अंशदान से अधिक नहीं होगी।

19. **न्यासी का पारिश्रमिक :–**

न्यासी द्वारा दिए गए सेवा के लिए किसी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा।

20. **संशोधन :–**

व्यवस्थापक/राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस विलेख को संशोधित किया जा सकेगा।

21. **न्यास की मोहर :–**

शासी परिषद की बैठक में न्यासी द्वारा न्यास की मोहर की स्वीकृति एवं समय–समय पर उसे नष्ट या नये रूप से प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष के पास न्यास की मुहर रहेगी एवं वे इसका न्यास के स्थान पर व्यवहार कर सकेगें।

22. **प्रतिसंहरित :–** व्यवस्थापक के विवके एवं स्वेच्छा से न्यास को प्रतिसंहरित किया जा सकेगा। न्यास उस अवधि तक कार्य कर सकेगा, जैसा व्यवस्थापक द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा। न्यास की समाप्ति के उपरांत सभी आस्तियाँ एवं देनदारी राज्य सरकार में हस्तांतरित हो जायेगी।

राज्य सरकार के वास्ते हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

[signature] 4/1/16	[signature]
उप विकास आयुक्त	**संयुक्त/उप सचिव**
–सह–	**संयुक्त सचिव**
सदस्य सचिव, धनबाद	**खान एवं भूतत्व विभाग**
	झारखण्ड, राँची।

दिनांक ....

गवाह :–
(1) प्रदीप कुमार दास
सहायक खान पदाधिकारी
धनबाद
(2) राकेश कुमार [illegible]
खान निरीक्षक
जिला खान कार्यालय
धनबाद

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

अशोक कुमार सिंह
Ashok Kumar Singh
जन्म तिथि/ DOB 02/01/1960
पुरुष / MALE

4250 4069 1601

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
विजया निवास, अम्बेदकर चौक, बरमसिया, बी.देवघर, देवघर,
झारखण्ड - 814112

Address:
VIJAYA NIWAS, AMBEDKAR CHOWK, BARMASSIA, B deoghar, Deoghar,
Jharkhand - 814112

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

इस परिचय-पत्र को हमेशा
अपने साथ रखें ।

नियंत्रण पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

झारखण्ड सरकार

परिचय-पत्र विवरण

नाम RAKESH KR. DUBEY

पदनाम MINES INSPECTOR

पता DISTRICT MINING OFFICE, DHANBAD

जन्म-तिथि 05/01/1977

नियुक्ति की तिथि 24/04/2011

विभाग कार्यालय का नाम DISTRICT

पता MINING OFFICE

DHANBAD Tel. No. [illegible]

नियोजन कार्यालय DEPT. OF MINES & GEOLOGY

तिथि 30/12/11 कार्डधारी का हस्ताक्षर

निबंधन विभाग, झारखंड
धनबाद

जांच पर्चा-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token No. 39 — Token Date/Time: 04/02/2016 13:37:53

Document Type	Trust	Presenter	Diputy Development Commisioner, Dhanbad		
Presenter Name & Address	D.D.C. Office, Dhanbad			Date of Entry	04/02/2016
Stampable Doc. Value	0	DOE		Total Pages	26
Document/Transaction Value	0	Stamp Value	100	Book	IV
Special Type		Serial No.	0	CNO/PNO	
Remarks / Other Details		Old Serial No.	/		
		App. ID		e-Stamp Cert. No.	

Property Details:

Anchal	Th.No.	Wrd/Hlk	Mauza	Kh. No.	Plot No	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No	Category	Area	Min. Value

Other Property Details:

Property Type	Th. No.	Wrd	Mauza	Location	Area	Rate	Amount

Party Details:

SN	P Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	UID	Mobile	Pres. Address	Perm. Address
1	Trustator	Ashok Kumar Singh Deputy Development Commisioner Dhanbad	Late Hari Nandan Singh	Service	पिता	राजपुत	Male				D.D.C. Office, Dhanbad	Do
2	Identifier	Rakesh Kumar Dubey	Ramadhar Dubey	Service	पिता	ब्रहमण	Male				District Mining Office, Dhanbad	Do
3	Witness1	Rakesh Kumar Dubey	Ramadhar Dubey	Service	पिता	ब्रहमण	Male				District Mining Office, Dhanbad	Do
4	Witness2	Pradip Kumar Sah	Ramdhani Sah	Service	पिता	साहु	Male				A.Mining Officer, Dhanbad	Do

Fee Details:

SN	Description	Amount	CHC	Net Amount
1	E	1,000.00	10.00	1,010.00
2	SP	390.00	0.00	390.00
Total		1,390.00	10.00	1,400.00
नि ध>		30.—	10.00	40.—
		1420.—	20.—	1440.—

उपरयुक्त प्रविष्टियाँ दस्तावेज में अंकित तथ्यो के अनुरूप है।

दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर .... प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इंपुट फार्म के अनुरूप डाटा इंट्रि की गई है।

डाटा इंट्रि ऑप्रेटर का हस्ताक्षर

उपरयुक्त अशोक कुमार सिंह उपविकास आयुक्त, धनबाद। ने इस दस्तावेज के निष्पादन को मेरे समक्ष स्वीकार किया

जिसकी पहचान राकेश कुमार सिंह पिता रामाधार दुबे

निवासी जिला खनन कार्यालय, धनबाद पेशा नौकरी ने की।

4/2/016

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

04/02/16

174

निबंधन विभाग, झारखंड
धनबाद

Token No.39 Token Date: 04/02/2016 13:37:53
Serial/Deed No./Year :790/97/2016
Deed Type: Trust

SN	Party Details	Photo	Thumb
1	**Ashok Kumar Singh Deputy Development Commisioner Dhanbad** Father/Husband Name:Late Hari Nandan Singh (Trustator) D.D.C. Office, Dhanbad	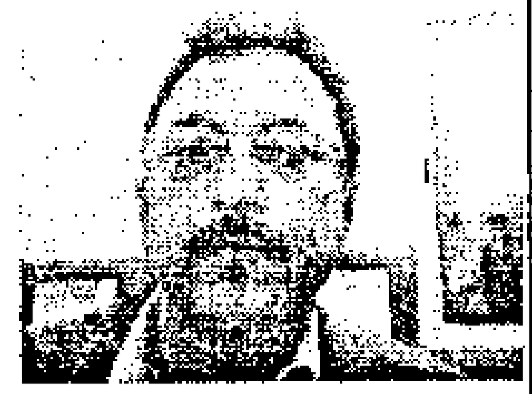	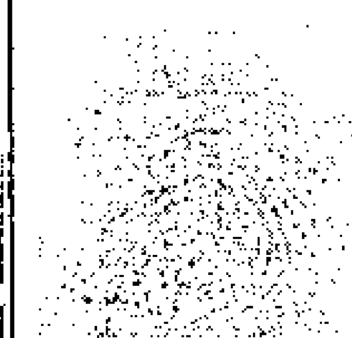
2	**Rakesh Kumar Dubey** Father/Husband Name:Ramadhar Dubey (Identifier) District Mining Office, Dhanbad	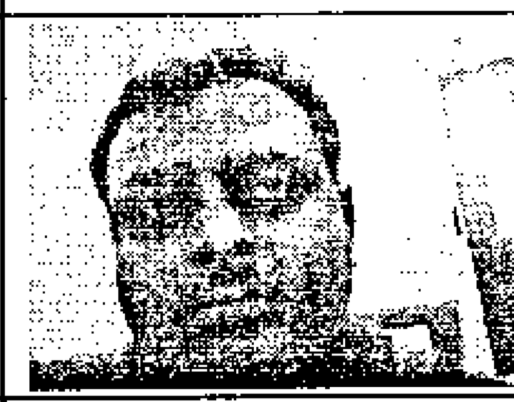	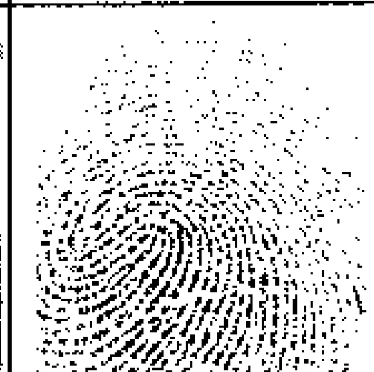
3	**Rakesh Kumar Dubey** Father/Husband Name:Ramadhar Dubey (Witness1) District Mining Office, Dhanbad		
4	**Pradip Kumar Sah** Father/Husband Name:Ramdhani Sah (Witness2) A.Mining Officer, Dhanbad		

Book No.	IV
Volume	6
Page	405 To 430
Deed No	790/97
Year	2016
Date	04/02/2016 15:27:36

Registering Officer

Signature of Operator